

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3326/2026

1. Balvindra Singh Alias Bindra S/o Bhola Singh, Aged About 40 Years, Sutantar Ameerkhas Firojpur Punjab (At Present Lodged In Sub Jail Suratgarh)
2. Kripal Singh Alias Kali S/o Gurcharan Singh, Aged About 24 Years, Mamu Joiya Ameerwas Firozpur Punjab (At Present Lodged In Sub Jail Suratgarh)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Achala Ram
For Respondent(s)	: Mr. Prem Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— राजियासर, जिला— गंगा नगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 30/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 8/25 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से जो मादक पदार्थ डोडा पोस्ट 29.400 किलोग्राम बरामद हुआ है, वह वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से बरामदशुदा मादक पदार्थ डोडा पोस्त की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आती है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. बलविन्द्र सिंह उर्फ बिंद्र पुत्र भोला सिंह, 2. कृपाल सिंह उर्फ काली पुत्र गुरचरण सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J